2019/00258

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **195/2019** (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने, तिलक नगर जयपुर शाखा कार्यालय चौमू जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. विकम सिंह पुत्र स्व॰ श्री सोहन सिंह
2. श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी स्व॰ श्री सोहन सिंह
   (कानूनी वारीस स्व॰ श्री सोहन सिंह)
   निवासी 140, राजपूत बस्ती, ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
3. सुरेश कुमार मित्तल पुत्र श्री विजय कुमार मित्तल
   निवासी ग्राम दांतिल तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1.श्री महेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 17-10-2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी सोहन सिंह ऋणी को दिनांक 30.09.2015 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सोहन सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति 140, राजपूत बस्ती, ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर स्थित भूमि, भवन एवं ढाचा क्षेत्रफल 280 वर्गगज को बन्धक रख कर 20,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी के विधिक वारीसान को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर, 2018 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी के फोत हो जाने से उसके विधिक वारीसान को दिनांक 17.04.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः बिजनिस स्टेण्डर्ड में दिनांक 27.05.2019 एवं दैनिक नव ज्योति में दिनांक 29.05.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नही कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सोहन सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति 140, राजपूत बस्ती, ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर स्थित भूमि, भवन एवं ढाचा क्षेत्रफल 280 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
7. आदेश आज दिनांक 17-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)